194

37

सूचना का अधिकार

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ

क्रमांक-प. 2(10)प्रसु/सूअप्र/2012

जयपुर, दिनांक 07-11-2014

परिपत्र

आपका ध्यान इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 16.12.2010 व 25.04.2014 की ओर आकर्षित किया जाना समुचित है।

राज्य सरकार के प्रसंज्ञान में लाया गया है कि अपील/परिवाद में अधिनियम की धारा 20 के प्रावधान के अनुसार राज्य सूचना आयोग द्वारा जो आर्थिक शास्ति राज्य लोक सूचना अधिकारी पर अधिरोपित की जाती है उस राशि को कुछ विभाग/बोर्ड/निगम/स्व:शासी संस्था द्वारा जमा करवाई जा रही है।

कृपया यह सुनिश्चित करावें कि आपके विभाग अथवा आपके नियंत्रणाधीन विभागों/बोर्ड/निगम/स्व:शासी संस्थाओं में आयोग द्वारा अधिरोपित शास्ति की राशि संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी के वेतन से कटौती की जाकर जमा करवाई जावे। साथ ही अनुरोध है कि जब शास्ति की राशि आयोग में भेजी जावे तब इस आशय का प्रमाण पत्र भी अंकित किया जावे कि जमा करवाई जा रही राशि राज्य लोक सूचना अधिकारी से वसूल की गई है न कि राजकोष से जमा करवाई जा रही है।

अत: उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

(राजेश वर्मा)
अति. मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, राज्यपाल, राजस्थान
2. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर
5. समस्त जिला कलक्टर
6. रक्षित पत्रावली

(विकास एस.भाले)
विशिष्ठ शासन सचिव

192

सूचना का अधिकार

38

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ

क्रमांक-प. 2(10)प्रसु/सूअप्र/2012 जयपुर, दिनांक 07-11-2014

परिपत्र

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 में प्रथम अपील करने के लिए निम्न प्रावधान हैं:-

उप धारा (1) के अन्तर्गत "ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे धारा 7 की उप-धारा (1) या उप-धारा (3) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ है या जो, यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय से व्यथित है, उस अवधि की समाप्ति से या ऐसे किसी विनिश्चय की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा, जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में,लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से ज्येष्ठ पंक्ति का है:

परन्तु ऐसा अधिकारी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित किया गयाथा।

उप धारा (2) जहां अपील धारा 11 के अधीन राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति की सूचना प्रकट करने के लिए किए गए किसी आदेश के विरुद्ध की जाती हैं वहां संबंधित पर व्यक्ति द्वारा अपील, उस आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर की जाएगी।

उप धारा (6) उप धारा (1) या उप धारा (2) के अधीन किसी अपील का निपटारा, लेखबद्ध किए जानें वाले कारणों से, अपील की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो उसके फाइल किए जाने की तारीख से कुल पैंतालीस दिन से अधिक न हो, किया जाएगा।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कुछ प्रथम अपीलीय अधिकारी अपील का निस्तारण निर्धारित समय सीमा में नहीं कर रहे हैं साथ ही उनके द्वारा पारित निर्णयों की पालना कतिपय राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्णय के पश्चात भी या तो की नहीं जाती है अथवा निर्णय में निर्धारित समयावधि में नहीं कर रहे हैं। जिससे राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील/परिवाद अधिक संख्या में दायर हो रहे हैं।

Room No. 3005, Main Building, Government Secretariat, Janpath, Jaipur- 302005
Telephone No. 2227658 I.P. No. 5153222 Extension No. 22053 email ID: vs.bhale.rajasthan.gov.in
Wedsite: ard.rajasthan.gov.in